



मथुरा पुलिस



दिनांक 27.08.2025 ऑपरेशन कन्विकशन थाना – मगोर्ग

ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के क्रम में मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय एसडी-02 एसीजेएम, मथुरा द्वारा 03 दोषसिद्ध अपराधियों को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 15500-15500 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- अभियुक्तगण द्वारा वादी के पिता के साथ लाठी-फरसों से मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर देने के सम्बन्ध में थाना मगोर्ग पर मु0अ0सं0 158/2005 धारा 323,324,325 भादवि दिनांक 12.10.2005 को थाना मगोर्ग पर पंजीकृत किया गया था।

सन्दर्भित अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विकशन " के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल, मथुरा द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 27.08.2025 को मा0 न्यायालय एसडी-02 एसीजेएम, मथुरा द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 01-निरंजन पुत्र चेताराम 02-राधारमन पुत्र चेताराम 03- लक्ष्मण पुत्र बृजेन्द्र निवासी बछगांव थाना मगोर्ग मथुरा को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 15500-15500 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।